भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5702

दिनांक 26 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय क्रेच योजना

5702. श्री वी॰ के॰ श्रीकंदनः
डॉ॰ जी॰ रणजीत रेड्डीः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तेलंगाना में बीड़ी श्रमिकों के रूप में काम करने वाली माताओं के बच्चों के लिए भी राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना (आरजीएनसीएस) का विस्तार किया गया है और यदि हां, तो तेलंगाना में इस योजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;
(ख) क्या बजट में महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) आरजीएनसीएस के लिए किये गए प्रावधानों और विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान किये गए व्यय का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय क्रेच योजना के वित्तपोषण में कोई कटौती की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या कई क्रेच को अनुदान का भुगतान नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम का कार्यान्वयन समुदाय में रहने वाली कामकाजी माताओं के बच्चों (6 माह से 6 वर्ष तक की आयु समूह के) को दिन के समय की देखरेख सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिनांक 01.01.2017 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में किया जा रहा है। तेलंगाना राज्य सरकार ने ऐसे किसी शिशु गृह का अधिग्रहण नहीं किया है जिनका संचालन केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) और भारतीय बाल कल्याण परिषद (आईसीसीडब्ल्यू) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही केंद्रीय क्षेत्रीय स्कीम पूर्ववर्ती राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम (आरजीएनसीएस) के अंतर्गत किया जा रहा था।

शिशु गृह की सुविधाएं बीडी और सिगार कामगार (रोजगार की शर्तें अधिनियम, 1966 के अंतर्गत भी प्रदान की जाती हैं।

(ख) से (घ) : विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए किए गए बजट प्रावधान और वहन किए गए व्यय का ब्यौरा अनुलग्नक-। में है । राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम के अंतर्गत योजना के सभी आवर्ती घटकों के लिए केंद्र, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों के बीच धनराशि की हिस्सेदारी का स्वरूप राज्यों के लिए 60:30:10, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए 80:10:10 और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 90:0:10 के अनुपात में है। विगत तीन वर्षों 2016-17 (01.01.2017 से प्रभावी), 2017-18 और 2018-19 के लिए जारी की गई निधियों का ब्यौरा अनुलग्नक-।। में है।

(ड.) : अनुदान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रचालनरत पाए गए और उनके द्वारा अधिगृहित किए गए शिशु गृहों के लिए जारी किए गए हैं।

*****

अनुलग्नक-I

'राष्ट्रीय क्रेच योजना' विषय पर श्री वी॰ के॰ श्रीकंदन और डॉ॰ जी॰ रणजीत रेड्डी द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5702 के उत्तर के भाग (ख) से (घ) में संदर्भित अनुलग्नक

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	निधि आवंटन		किया गया व्यय	टिप्पणी
	बजट प्राक्कलन (बी.ई.)	संशोधित प्राक्कलन (आर.ई)		
2014-15	125.00	100.00	97.68	आरजीएनसीएस के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों-आईसीसीडब्ल्यू तथा सीएसडब्ल्यूबी को निर्मुक्त
2015-16	205.94	144.00	133.02	आरजीएनसीएस के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों-आईसीसीडब्ल्यू तथा सीएसडब्ल्यूबी को निर्मुक्त
2016-17	150.00*	150.00*	124.60	(i) आरजीएनसीएस के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों-आईसीसीडब्ल्यू तथा सीएसडब्ल्यूबी को दिसम्बर, 2016 तक 78.15 करोड़ रूपये निर्मुक्त (ii)शेष राशि 01.01.17 से 31.03.17 तक के लिए एनसीएस के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त
2017-18	200.00	65.00	48.79	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त
2018-19	128.39	30.00	29.77	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त
2019-20	50.00	-----	8.58 (12.07.2019तक)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त

* पूर्ववर्ती केन्द्रीय सेक्टर की राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु शुरूआत में 150.00 करोड़रूपये का बजट प्राक्कलन आवंटितकिया गया था और उसका अग्रेनयन राष्ट्रीयक्रेच स्कीम को किया गया जिसे 01.01.2017 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से केन्द्रीय प्रायोजितस्कीम के रूप में कार्यान्वित किया गया।

अनुलग्नक-II

'राष्ट्रीय क्रेच योजना' विषय पर श्री वी॰ के॰ श्रीकंदन और डॉ॰ जी॰ रणजीत रेड्डी द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5702 के उत्तर के भाग (ख) से (घ) में संदर्भित अनुलग्नक

(रूपये लाख में)

		2016-17 (1.1.2017 से)	2017-18	2018-19
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	निर्मुक्त राशि
1	आंध्र प्रदेश	207.30	221.25	0.00
2	अंडमान और निकोबार	12.04	12.85	0.00
3	बिहार	51.94	55.43	0.00
4	चंडीगढ़	10.70	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	255.44	272.63	0.00
6	दादर और नगर हवेली	9.03	9.63	0.00
7	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
8	दिल्ली	0.00	115.43	62.22
9	गोवा	7.13	7.61	0.00
10	गुजरात	247.64	264.31	0.00
11	हरियाणा	103.20	31.64	219.53
12	हिमाचल प्रदेश	142.36	151.94	74.96
13	जम्मू और कश्मीर	209.23	223.31	411.65
14	झारखंड	165.61	176.76	0.00
15	कर्नाटक	193.70	206.74	480.71
16	केरल	170.96	182.47	0.00
17	लक्षद्वीप	4.01	4.28	0.00
18	मध्य प्रदेश	316.52	0.00	0.00
19	महाराष्ट्र	407.02	434.41	0.00
20	ओडिशा	142.66	152.26	0.00
21	पुद्दुचेरी	0.00	77.69	36.88
22	पंजाब	48.15	51.39	0.00
23	राजस्थान	121.26	129.42	0.00
24	तमिलनाडु	223.79	264.91	657.48
25	तेलंगाना	207.07	221.01	0.00
26	उत्तर प्रदेश	384.28	410.14	0.00
27	उत्तराखंड	156.92	167.48	0.00
28	पश्चिम बंगाल	259.23	276.68	0.00
29	असम	204.48	218.23	0.00
30	अरुणाचल प्रदेश	56.17	59.95	0.00
31	मणिपुर	158.41	169.07	0.00
32	मेघालय	31.50	33.62	39.00
33	मिजोरम	77.87	120.42	601.72
34	नागालैंड	36.56	39.02	0.00
35	त्रिपुरा	60.63	64.71	336.55
36	सिक्किम	0.00	65.74	55.79